स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

फाइल सं. 56/समीक्षा/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या/पीपी/पीपीएस-II/2017 दिनांक: 05 मई, 2017

सेवा में,

अध्यक्ष,
गोवा फारवर्ड पार्टी,
शीश महल, दूसरा तल, कार्यालय 4,
कोम्बा, मारगोवा, गोवा-403601

विषय: गोवा में राज्य दल के रूप में गोवा फारवर्ड पार्टी की मान्यता-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि **गोवा** की विधान सभा हेतु साधारण निर्वाचन, 2017 में **'गोवा फारवर्ड पार्टी'** के मतदान प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर, यह देखा गया है कि **'गोवा फारवर्ड पार्टी',** वर्तमान में, एक पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त पार्टी, ने **गोवा** राज्य में, राज्य दल के रूप में मान्यता के लिए निर्वाचक प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 6क(iii) में दी गई शर्तों को पूरा कर लिया है। तद्नुसार, आयोग ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत **गोवा** राज्य में राज्य दल के रूप में **'गोवा फारवर्ड पार्टी'** को मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

2. दल, **गोवा** राज्य में एक राज्य दल के रूप में अपनी पार्टी के लिए आरक्षित प्रतीक के रूप में आबंटित किए जाने वाले अपने पंसद के प्रतीक की तत्काल सूचना दें।

भवदीय,

(अश्विनी कुमार मोहाल)
अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रषित: सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचनार्थ।